

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 1978/माघ 3, 1899

No. 28] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 1978/MAGHA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1978

अधिसूचना

का. आ. 30(अ).—उच्च मूल्यवर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 1) की धारा-13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश उच्च मूल्यवर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. यदि उच्च मूल्यवर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 1) की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उच्च मूल्यवर्ग बैंक नोट को विनिमय के लिए प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रहता हो जहाँ से उक्त अध्यादेश की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर स्थित

रिजर्व बैंक की शाखा, उसके कार्यालय या उप-कार्यालय को पञ्चसैन में सुविधा न हो, अथवा वह आय, अंगशोधित्य या स्मणावस्था के कारण वहां उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह जिन उच्च मूल्यवर्ग बैंक नोट को बदलना चाहता है उन्हें उक्त धारा 7 के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा की तीन प्रतियों के साथ बीमाकृत डाक से बम्बई स्थित रिजर्व बैंक को 24 जनवरी, 1978 तक एक विवरण के साथ भेज दे जिसमें वह यह स्पष्ट करे कि वह किन कारणों से उक्त धारा 7 में उपबोधित समय के भीतर आवेदन नहीं दे सका था।

[सं. फ. 12/1/78-करंसी]

कै. एन. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 23rd January, 1978

NOTIFICATION

S.O. 30 (E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Ordinance, 1978 (1 of 1978), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1.(1) This Order may be called the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) (Removal of Difficulties) Order.

(2) It shall come into force at once.

2. If any person desiring to tender for exchange a high denomination bank note under sub-section (1) of section 8 of the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Ordinance, 1978 (1 of 1978), resides in a place not within convenient reach of any sub-office, office or branch of the Reserve Bank at the places specified in clause (a) of sub-section (2) of section 7 of the said Ordinance, or if, by reason of age, infirmity or illness, he is unable to attend thereat, he may forward the high denomination bank notes he desires to exchange together with three copies of the declaration required under the said section 7 by insured post to the Reserve Bank at Bombay not later than the 24th day of January, 1978, along with a statement explaining the reasons for his failure to apply within the time provided in the said section 7.

[No. F 12/1/78-Cy.]

K. N. ROW, Jt. Secy.